

प्रेस विज्ञप्तिथाना- मुबारकपुरअवैध रूप से गाँजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 03.11.2023 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा एक व्यक्ति पुलिस बल को देखकर डिलिया मोड़ मलिकसूदनी बसवारी के पीछे छिपने लगा शक होने पर व्यक्ति को एक बारगी घेर कर हमराह कर्मचारीगण की मदद से पकड़ लिया गया। जिसने अपना नाम शमशाद अहमद पुत्र शमीम अहमद निवासी पूरानी बस्ती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बताया जामा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो ग्राम गाँजा नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 08.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार थाना हाजा लाकर दाखिला कराया गया। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 528/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत है। जिसकी विवेचना उ0नि0 तुलशी प्रसाद द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:- शमशाद अहमद पुत्र शमीम अहमद निवासी पूरानी बस्ती थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
बरामदगी:- गाँजा 01 किलो ग्राम

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 528/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 212/2021 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 528/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 उमेश प्रजापति, का0 शैलेश यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना सरायमीरछेड़खानी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना - थाना सरायमीर पर दिनांक 02/11/2023 को आवेदक थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 01-11-23 को समय 09.30 बजे दिन में मेरी पुत्री हैण्डपम्प पर पानी भरने गई थी उसी समय विपक्षी अशोक प्रजापति पुत्र छटंकी प्रजापति मेरी पुत्री से छेड़खानी करने लगा मना किया तो गाली देने लगा जब मेरी पुत्री घर आयी तो मुझे बताया तो मैं अशोक प्रजापति से पूछा तो मुझे भी गाली देने लगा और जान से मारने मारने की धमकी भी देने लगा तथा मेरी पुत्री को मारा है के सम्बन्ध में प्राप्त प्रा0पत्र के आधार पर मु0अ0सं0- 312/2023 धारा 354/323/504/506 भादवि थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 03/11/2023 को उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अशोक प्रजापति पुत्र छटंकी प्रजापति सा0 पुरा कोहराना हसनपुर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष, को हसनपुर कोहराना गौशाला के पास से समय करीब 09.40 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 312/2023 धारा 354/323/504/506 भादवि थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 09/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 312/23 धारा 354/323/504/506 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अशोक प्रजापति पुत्र छटंकी प्रजापति सा0 पुरा कोहराना हसनपुर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अखिलेश यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. का0 विपिन सिंह पटेल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 03.11.2023 को उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अक्षैवर पुलिया पर अवैध तमंचा लेकर खड़ा है प्रस्थान कर इलियास पुत्र अयूब सा0 वार्ड नं0 09 शास्त्री नगर कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को हिरासत पुलिस में लेकर जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अपराध का बोध कराते हुए बाजाप्ता समय करीब 03.10 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 473/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- इलियास पुत्र अयूब सा0 वार्ड नं0 09 शास्त्री नगर कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 473/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास – मु.अ.सं. 01/21 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 रामगोपाल त्यागी मय हमराह का0 सोनू यादव थाना मेंहनगर आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02/11/23 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा लखराव तिराहे से इमरान पुत्र मैनुद्दीन सा0 वार्ड नं0 09 शास्त्री नगर कस्बा मेहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष हिरासत पुलिस में लेकर नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ पकड़े हुये व्यक्ति से तमंचा रखने के संबंध में अधिकार पत्र मांगते हुये भागने का कारण पूछा गया तो अधिकार पत्र दिखाने से कासिर रहा कारण गिरफ्तारी बताकर अभियुक्त को समय करीब 01.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 472/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- इमरान पुत्र मैनुद्दीन सा0 वार्ड नं0 09 शास्त्री नगर कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 472/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास – मु.अ.सं. 01/21 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मेंहनगर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह हे0का0 श्याम नारायण पाल का0 अभिषेक यादव का0 चन्द मौर्य

थाना- रानी की सराय

जनसेवा केन्द्र पर लूट की घटना कारित करने व गैरेस्टर एक्ट में वाछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 02.06.2023 को वादी नीरज निषाद पुत्र मंगल निषाद ग्राम मतौलीपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के जनसेवा केन्द्र पर काम करने वाला गोपाल कुमार पुत्र स्व० संतलाल नि० पुरापाण्डेय थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा उडान कम्पनी सेमरहा अण्डर पास थाना रानी की सराय से बैग में भर कर 746430 रुपया (07 लाख, 46 हजार, 4 सौ, 30 रुपये) लेकर जन सेवा केन्द्र कोतवाली, आजमगढ़ जाते समय बेलइसा धर्मकाटा के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैग में भरा रुपया छीन कर लेकर भाग जान के सम्बन्ध में दिये गये तहरीर के आधार के थाना हाजा पर मु०अ०स०-184/2023 धारा 392 भादवि० बनाम दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत होकर विवेचना प्र०नि० थाना रानी की सराय, आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की गयी।

दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 10.06.2023 व 11.06.2023 को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण 1 रामचन्द्र यादव उर्फ मैकू पुत्र स्व० कन्हैया निवासी ग्राम भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता ग्राम सेमरा थाना मधुबन जनपद मऊ 2. अमन यादव उर्फ अनाम पुत्र दुर्गविजय यादव निवासी ग्राम भुजही थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 3. बृजेश यादव उर्फ सूर्यप्रकाश यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी ग्राम उमरपुर थाना घोसी जनपद मऊ 4. हरिवंश गोपाल पुत्र राम निवासी ग्राम भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ 5. मानवेन्द्र चौबे पुत्र स्व० हनुमान चौबे निवासी ग्राम लपसीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 6. सत्यप्रकाश यादव उर्फ विरेन्द्र पुत्र पतिराम यादव निवासी ग्राम तेदुआ थाना उभाव जनपद बलिया 7. रोशन यादव पुत्र शिवानन्द यादव निवासी ग्राम बेलौर चिन्गोरी थाना घोसी जनपद मऊ हाल पता कन्हैया यादव पुत्र स्व० सतीराम यादव ग्राम तेदुआ थाना उभाव जनपद बलिया 8. लालू पुत्र सूर्यबली यादव नि० जमीनकपारगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 9. रविन्द यादव उर्फ मास्टर पुत्र रमाकान्त यादव निवासी ग्राम रसूलपुर थाना घोसी मऊ 10. बृजेश यादव उर्फ ललई पुत्र इन्द्रासन यादव निवासी ग्राम बलईसागर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ 11. अजय यादव 12. विजय यादव पुत्रगण ओमप्रकाश यादव उर्फ मुन्ना निवासीगण-ग्राम क्यामपुर, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ 13. चन्द्रशेखर गौड़ पुत्र दीपचन्द गौड़ निवासी ग्राम सरदारगंज थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ 14. दुर्गेश यादव उर्फ अभिजीत पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम कुशहा ब्राह्मण थाना भीमपुरा बलिया 15. योगेन्द्र यादव उर्फ अभिमन्यु पुत्र सूर्यबली यादव सा० जमीनकपारगढ़ थाना जीयनपुर आजमगढ़ 16. विजय चौहान पुत्र सरदार चौहान निवासी ग्राम भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 17. कमलावती उर्फ फूलमती पत्नी चन्द्रदीप ग्राम खजुहा मितनपुर थाना मधुबन जनपद मऊ का नाम प्रकाश में आया, जिसमें से अभियुक्त रामचन्द्र यादव उर्फ मैकू उपरोक्त का संगठित गिरोह है जो मिलकर जनपद स्तर पर सक्रिय होकर अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर चोरी, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराध कारित करते हैं। अभियुक्तगण दुर्गेश यादव उर्फ अभिजीत कुमार पुत्र रमेश यादव उपरोक्त गैंग का सदस्य है। जिनका दिनांक 29.10.2023 को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 02.11.2023 को मु०अ०स० 357/2023 धारा 3(1)यू०पी० गैरेस्टर 01. रामचन्द्र यादव उर्फ मैकू पुत्र स्व० कन्हैया निवासी ग्राम भरौली थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता ग्राम सेमरा थाना मधुबन जनपद मऊ आदि 17 नफर पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दुर्गेश यादव उर्फ अभिजीत पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम कुशहा ब्राह्मण थाना भीमपुरा बलिया को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक-03.11.2023 को प्र०नि०मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछित अभियुक्त दुर्गेश यादव उर्फ अभिजीत पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम कुशहा ब्राह्मण थाना भीमपुरा बलिया को कोटिला हाईवे के पास से समय 08.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०स० 357/2023 धारा 3(1)यू०पी० गैरेस्टर थाना रानी की सराय आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त – दुर्गेश यादव उर्फ अभिजीत पुत्र रमेश यादव निवासी ग्राम कुशहा ब्राह्मण थाना भीमपुरा बलिया

अपराधिक इतिहास –

क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
01	184/2023	392/120बी/216ए भादवि	रानी की सराय	आजमगढ़
02	357/2023	3(1) यू०पी० गैरेस्टर एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- (1) प्र०नि० शशिचन्द चौधरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (2) व०उ०नि० कमल कान्त वर्मा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (3) का० सौरभ कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (4) का० धीरज पटेल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (5) का० अभिषेक कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (6) का० अरविन्द कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
- (7) म०आ० पूजा चौहान थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर

गैंग्स्टर के मुकदमें में वांछित 15000/- रुपये का इनामिया अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 27.09.2023 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर राजेश कुमार द्वारा अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट के आधार पर अभियुक्त 1. सलीम नट पुत्र जलील अहमद 2. मोहम्मद अली पुत्र जलील नट निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ व 3. सुरेन्द्र यादव पुत्र रामसनेही निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 4. सन्दीप गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता पुत्र पकड़ू गुप्ता उर्फ श्यामनरायण निवासी करीमाबाद मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ का एक सुसंगठित गैंग है एवं गैंग का मुखिया सलीम नट उपरोक्त है। जो गैंग का संचालन करता है। यह गैंग अपने व अपने साथियों के तथा परिवार जन के भौतिक व आर्थिक दुनियाबी लाभ हेतु गोमांश के क्रय विक्रय के कारोबार में लिप्त है जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होने की स्थिति उत्पन्न होकर जनमानस में काफी असुरक्षा आतंक एवं भय मका माहौल उत्पन्न हो गया इनके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 468/2023 थाना 3(1) गैंग्स्टर एक्ट 1. सलीम नट पुत्र जलील अहमद 2. मोहम्मद अली पुत्र जलील नट निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ व 3. सुरेन्द्र यादव पुत्र रामसनेही निवासी मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 4. सन्दीप गुप्ता उर्फ आशीष गुप्ता पुत्र पकड़ू गुप्ता उर्फ श्यामनरायण निवासी करीमाबाद मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ पंजीकृत है जिसमें मोहम्मद अली उपरोक्त वांछित अभियुक्त है। उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक जहानागंज द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 03.11.2023 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह एवं स्वाट टीम द्वितीय के प्रभारी प्रकाश शुक्ल मय हमराह को सूचना प्राप्त हुई कि एक इनामिया अपराधी जो अवैध असलहा के साथ टड़िया चौराहे से कुछ दूरी पर गुजरपार रोड पर खड़ा है कही जाने के फिराक में है जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर उ0नि0 संजय कुमार सिंह व प्रभारी स्वाट टीम द्वितीय के प्रभारी प्रकाश शुक्ल अपने अपने हमराहियों के साथ टड़िया चौराहे पर पहुंचकर मुखबिर की निशांदाही पर चौराहे पर खड़े व्यक्ति को एक बारगी दबिश देकर पकड़ लिया गया। जामा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त ने अपना नाम मोहम्मद अली पुत्र जलील अहमद निवासी मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 35 वर्ष बताया जो थाना हाजा का 15000/- रुपये का इनामिया व गैंग्स्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त है। जिसको कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 06.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। नियमानुसार गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को थाना हाजा लाकर दाखिला कराया गया। बरामदशुदा तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 527/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-मोहम्मद अली पुत्र जलील अहमद निवासी मोहम्मदपुर बाबूपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ उम्र 35 वर्ष

बरामदगी:-

1-एक अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0- 527/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 83/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
- 154/2022 धारा 3/5ए/8 गौ-वध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 164/2023 धारा 411 भादवि व 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 468/23 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
- मु0अ0सं0 527/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 संजय कुमार सिंह प्रभारी चौकी कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 सद्दाम हुसैन अंसारी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 प्रकाश शुक्ल, हे0का0 सतेन्द्र यादव, हे0का0 अवधेश यादव, का0 धर्मेन्द्र सोनी, का0 मुकेश यादव, हे0का0 विनोद सरोज, हे0का0 उमेश कुमार यादव स्वाट टीम द्वितीय जनपद आजमगढ़

थाना- बरदह

अवैध तमन्चा व जिन्दा कारतूस 315 के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 03.11.23 को उ0नि0 अमरनाथ पाण्डेय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान बड़ेपुर तिराहा से अभियुक्तगण 1.मकसूद पुत्र स्व0 अजीज ग्राम जखावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़, 2. अजय गौतम पुत्र रामफेर सा0 अजाउर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय 13.30 बजे अवैध तमन्चा 315 बोर व जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 453/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 453/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.मकसूद पुत्र स्व0 अजीज ग्राम जखावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़,
2. अजय गौतम पुत्र रामफेर सा0 अजाउर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1. अभियुक्त मकसूद के कब्जे से एक अदद तमन्चा .315 बोर व एकअदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।
2. अभियुक्त अजय गौतम के कब्जे से दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ।

आपराधिक इतिहास-

1. मकसूद पुत्र स्व0 अजीज ग्राम जखावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 105/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 307 भादवि थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 160/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 55/15 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 56/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 143/21 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 237/15 धारा 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधि0, 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 230/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
8. मु0अ0सं0- 453/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह आजमगढ़

2. अजय गौतम पुत्र रामफेर सा0 अजाउर थाना बरदह जनपद आजमगढ़

1. मु0अ0सं0- 453/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 अमरनाथ पाण्डेय मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- फूलपुर

शातिर अपराधी अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार

दिनांक- 03.11.2023 को उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय मय हमराह चेकिंग के दौरान शातिर अपराधी दिलशाद पुत्र शमशाद सा0 चकशाहकाफी खुरासो थाना फूलपुर आजमगढ़ 36 वर्ष को 650 ग्राम अवैध गांजा के साथ मुडियार रोड रेलवे क्रासिंग से समय 09-20 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्या0 किया गया।

सम्बन्धित अभियोग- मु0अ0सं0 513/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	48/2021	3/5ए/8	गोवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि0	फूलपुर फूलपुर आजमगढ़
2	246/2020	4/25	आर्म्स एक्ट फूलपुर आजमगढ़	फूलपुर आजमगढ़
3	182/18 147/148/149/34/307/419/420/468		भादवि फूलपुर आजमगढ़	फूलपुर आजमगढ़
4	206/18 3(1)उ0प्र0	गैंगेस्टर एक्ट	फूलपुर	फूलपुर आजमगढ़
5	312/2021	307/34	भादवि कोतवाली	आजमगढ़
6	103/2018	379	भादवि जहानागंज	आजमगढ़
7	187/2018	379	भादवि जहानागंज	आजमगढ़
8	189/2022	3(1) यूपी	गैंगेस्टर एक्ट फूलपुर	आजमगढ़
9	61/23	3/5A/8	गोवध नि0अधि0, व 11 पशु क्रू0अधि0	अहरौला आजमगढ़
10	513/23	8/20 एन0डी0पी0एस0	एक्ट फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- दिलशाद पुत्र शमशाद सा0 चकशाहकाफी थाना फूलपुर आजमगढ़

बरामदगी- 650 ग्राम नजायज गांजा।

गिरफ्तार करने वाली टीम- उ0नि0 जयप्रकाश पाण्डेय मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।